10/10/19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उप. बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/10/19 को पेश हो Sd/-
30.10.19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो Sd/- उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/50/2015

सोहनी पुत्री चोखा जाति जाट निवासिनी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर।

–अपीलांट

बनाम

1. संतोष पत्नी श्रवण
2. चैनाराम पुत्र श्रवण
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
3. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
4. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर
5. ग्राम पंचायत, नेतड़वास पं.स. धोद जिला सीकर जरिये सरपंच

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत नेतड़वास पंचायत समिति धोद
नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांकित 10.10.1997

उपस्थिति–
01. श्री बनवारीलाल बरवड़, वकील अपीलांट की ओर से
02. श्री भंवरलाल बिजारणियां, वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 की ओर से

–आदेश–

दिनांक– 30.10.2019

01. वकील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज चोखा पुत्र भूरा के खाते,कब्जे, काश्त की पैतक कृषि भूमियां खसरानम्बर 183 रकबा 3.12 है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 3.61 है0, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 443 रकबा 5.27 है0 किता 4 कुल रकबा 12.05 है0 वाके ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित हैं, जिसमें अपीलांट के पिता चोखा का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त भूमियां शुरू से ही चोखा जो अपीलांट का पिता था के खाते, कब्जे,काश्त में थी, उनकी मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत नेतडवास द्वारा अपीलांट की माता व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के नाम बिना किसी कब्जे व वासिसों की जांच किये नामां0 171 गलत रूप से भर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हो पाई। अपीलांट दिनांक 25.08.2015 को पटवारी हल्का के पास गई तो उन्होने कहा कि तुम्हारे नाम तुम्हारी भूमियों में खाता ही नहीं है। तुम्हारी भुमिया तो दूसरे के नाम हो रखी है। रेवेन्यू रिकार्ड की नकले दिनांक 02.09.2015 को प्राप्त करने पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। उक्त गलत नामांतरकरण की जानकारी से अपील यशाशीघ्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरा गया नामां0 संख्या 171 दिनांक 10.10.1997 विरूद्व कानून तथा पत्रावली है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व पटवारी हल्का से व गिरदावर हल्का से सही जाचं नहीं करवाई। केवल मात्र ग्राम पंचायत ने उक्त नामांतरकरण अपीलांट को छोड़कर राजनैतिक द्वेषता के आधार पर भरा गया है, जो निरस्तनीय है। उक्त नामा0 तस्दीक करते समय अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र अपीलांट के पिता चोखा की विरासत अपीलांट की माता व उनकी पुत्रवधु संतोष तथा पौत्र चैनाराम के नाम से गलत रूप से भरी गई है,जबकि एक पुत्री भी थी जो अपीलांट है। जिनकी वंशावली निम्नलिखित है:–

चोखा (फोत)

अणची (मृत) पत्नी | श्रवण (पुत्र) फोत | सोहनी (पुत्री)

श्रवण (पुत्र) फोत → संतोष, चैनाराम

उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई कब्जे की जांच की गई तथा ना ही पूर्ण वारिसों की जाचं की गई है तथा ना ही अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया गया है। अपीलांट दिनांक 25.08.2015 को अपने खेत में बैठी हुई थी तो रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 अपने साथ तीन–चार अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आये तथा अपीलांट को उक्त भूमियो पर से बलात् बेदखल कर दीगर भूमाफियाओं को आगे बेचान करने की धमिकियां दी जिस पर अपीलांट ने हो हल्ला किया तो मौके पर दीगर पडोसी भागकर आये तथा उन्हे समझा बुझाकर बिदार किया, परन्तु जाते जाते उन्होने यह एलानियां धमकिया दी कि आज तो तुम्हें इन लोगों ने छुड़वा दिया है, परन्तु फिर जब भी मौका मिलेगा तो हम तुम्हारी भूमियो को दिगर भूमाफियाओं को जबरन विक्रय करके उनका कब्जा करवा कर ही दम लेगें। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 की उपर्युक्त कुचेष्टाओं से बाज रहने हेतु उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार में होने के कारण उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ ग्राम पंचायत नेतडवास पं0स0 धोद द्वारा भरा गया नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 10.10.1997 निरस्त किया जावे।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 3 ता 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री भंवरलाल बिजारणिया उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि पैतृक सम्पति पर मियाद का बिंदु लागू नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। इसके विपरीत वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण को 22 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। 22 वर्षों की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः लिमिटेशन के बिंदु पर ही अपील को खारिज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया चौखा की जायंदा पुत्री है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है। प्रकरण में विवाद का बिंदु यह है कि विवादित नामान्तरकरण सं. 171 दिनांकित 30.12.1997 वाके ग्राम नेतड़वास पंचायत नेतड़वास विधि के प्रावधानों के अनुसार भरा जाकर स्वीकृत किया है अथवा नहीं? पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण सं. 171 ग्राम नेतड़वास विवादित आराजियात के 1/2 हिस्सा के खातेदार चौखा पुत्र भूरा के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.10.1997 को चौखा की पत्नी अणची, पुत्रवधू संतोष व पौत्र चैनाराम के नाम पर भरा गया। नामान्तरकरण पर अंकित विरासत के सजरे में इनको ही चौखा का वारिस दर्शाया गया है। उक्त नामान्तरकरण को हुबहू दिनांक 30.12.1997 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की विधि के अनुसार समीक्षा करने पर निम्न त्रुटियां पाई गई–

(A) प्रार्थीया चौखा की जायंदा पुत्री होने के बावजूद भी चौखा के वारिसों के सजरे में प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं किया गया।

(B) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई हिन्दु पुरूष निर्वसीयत मरता है तो उसकी सम्पति धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रैणी के वारिसों या उनके नहीं होने पर द्वितीय श्रैणी के वारिसों में न्यायगत होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया चौखा की प्रथम श्रैणी की वारिस है। अतः चौखा की सम्पति में उसका भी अधिकार बनता था। अतः नामान्तरकरण सं. 171 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

जहां तक लिमीटेशन का प्रश्न है। उसके संबंध में हमारा यह मत है कि कानून के विरूद्ध या कानूनी प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना किया गया कार्य शुरू से ही **Null and Void** होता है। अतः उस पर लिमीटेशन का बिंदु लागू नहीं होता है। कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध किये गये किसी भी निर्णय को केवल इस कारण सही नहीं माना जा सकता है कि वह वर्षों पूर्व किया गया था। अतः उपर्युक्त विवरणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नेतडवास पं0स0 धोद द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 10.10.1997 को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 चौखा के वैध वारिसों की जांच करके नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.08 14:21:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: